

jktLFkku ljdkj
uxjh; fodkl foHkkx

क्रमांक :-प.10(179)नविवि/3/09

जयपुर, दिनांक:- 13.01.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन , जयपुर को लालसोट (जिला दौसा) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील
1.	डिडवाना (DIDWANA)	लालसोट
2.	लालसोट (LALSOT)	लालसोट
3.	राजौली (RAJOLI)	लालसोट
4.	चक राजौली (CHAK RAJOLI)	लालसोट
5.	श्योनन्दा की झूपडिया (SHYONANDA KI JHUNPARIA)	लालसोट
6.	चौदसेन (CHANDSAIN)	लालसोट
7.	सालगरामपुरा चक 3 (SALAGRAMPURA CHAK 3)	लालसोट
8.	सालगरामपुरा चक 5 (SALAGRAMPURA CHAK 5)	लालसोट
9.	सालगरामपुरा चक 6 (SALAGRAMPURA CHAK 6)	लालसोट
10.	श्री सीतारामपुरा चक 1 से 3 (SHRI SITARAMPURA CHAK 1 TO 3)	लालसोट
11.	बाढ़ तातार सिंह चक 3 (BARH TATAR SINGH CHAK 3)	लालसोट
12.	थलोज (THALOJ)	लालसोट

राज्यपाल की आज्ञा से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, दौसा।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, लालसोट।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक